

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 07 अप्रैल, 2016

संख्या 13/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2016. — चूंकि, राज्य सरकार संतुष्ट हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची क में, क्रम संख्या 10 के सामने, खाना 3 के नीचे, "8 प्रतिशत", अंक तथा शब्द के स्थान पर, "10 प्रतिशत" अंक तथा शब्द, प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2016 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किये गये समझे जाएंगे।

रोशन लाल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 07th April, 2016

No. 13 /ST-1/H.A.6/2003/S.59/2016. – Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), in Schedule A, against serial number 10, under column 3, for the figure and sign “8%”, the figure and sign “10%” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of April, 2016.

Roshan Lal,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department.